

28/05/25

पत्रां

पत्रां पेश हुई। प्रार्थी मनोज कुमार द्वारा जारी
वकील जीतेन्द्र गौड़ शा. पत्र प्रस्तुत कर निवेदन
दिया कि उक्त दावा में उद्यमपक्षधारण में लोकहित
की भावना से राजीनामा ले गया है, कि उक्त
दावे को आगे चलाना नहीं चाहते हैं।

मनोज

